RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-01
January -2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकारी प्रयास

सुदेश कुमारी

प्राध्यापिका, वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रोहतक

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 20 January 2019

Keywords
बालिका शिक्षा, सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता, सरकारी प्रयास, प्रोत्साहन, योजना इत्यादि।

ABSTRACT

किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। महिला और पुरूष दोनों समान रूप से समाज के दो पहियों की तरह कार्य करते हैं और समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार "समाज का सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं आता क्योंकि कोई भी पक्षी कभी भी एक पंख से उड़ान नहीं भर सकता"। दोनों की समान भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाएं। क्योंकि यदि कोई एक पक्ष भी कमजोर होगा तो सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो पाएगी। परन्तु देश में व्यवहारिकता शायद कुछ अलग ही है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में महिला साक्षरता दर मात्र 64.46 फीसदी है, जबकि पुरूष साक्षरता दर 82.14 फीसदी है। उल्लेखनीय है कि भारत की महिला साक्षरता दर विश्व के औसत 79.7 प्रतिशत से काफी कम है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिर्पोट, 2017 के अनुसार, भारत शैक्षिक उपलब्धि में विश्व के 144 देशों में 112 वें स्थान पर है और अगर आर्थिक सहभागिता एवं अवसर को देखा जाये तो भारत का स्थान 139 वां है, जो बहुत ही दयनीय है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिर्पोट में कहा गया था कि 15–18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4 प्रतिशत लड़कियां स्कूली शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं और इसमें से अधिकतर या तो घरेलू कार्यों में सलंग्न होती है या भीख मांगने जैसे कार्यों में। महिलाओं की ऐसी स्थिति शोध का विषय है।

प्रस्तुत शोधपत्र में शोधकर्त्री द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकारी प्रयासों को जानने का प्रयास किया है। जहां विश्वभर में नारी सशक्तिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं, शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की बात की जा रही है वहीं भारत में केन्द्रीय स्तर व राज्य स्तर (हरियाणा) पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकारी प्रयासों को भी जानना आवश्यक है।

भूमिका :

आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी भारत में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। आधुनिकता के विस्तार के साथ–साथ देश में दिन–प्रतिदिन बढ़ते महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या चौकाने वाली है। "अबला हाय तेरी यही कहानी, आँचल में दूध और आँखों में पानी," जिससे स्पष्ट है कि भारत में नारी की स्थिति अभी भी दयनीय है। उन्हें आज भी कई प्रकार के धार्मिक रीति–रिवाजों, यौन–अपराधों, लैंगिक भेदभावों, घरेलू हिंसा, निम्नस्तरीय जीवशैली, अशिक्षा, कुपोषण, दहेज उत्पीड़न, कन्या भ्रुणहत्या, सामाजिक असुरक्षा तथा उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017–2018 में कहा गया है कि लैंगिक समानता अंतनिर्हित रूप से बहु–आयामी विषय है, इसलिए यह आवश्यक है कि विभिन्न आयामों पर शोध कार्य किया जाए। (वित्त मंत्रालय 2018)

"समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज
की वो नींव है जिस पर विकास रूपी
इमारत बनाई जा सकती है।"

लगभग पूरे विश्व की शिक्षा प्रणाली में अलग–अलग तरह की असमानताएं पाई जाती हैं परन्तु लैंगिक असमानता लगभग सभी देशों की शिक्षा प्रणाली का अफसोसजनक पहलू है (असलम, 2013) ओ॰ई॰सी॰डी॰ (2018) की रिर्पोट के अनुसार विश्व के अनेक देशों की प्राथमिक शिक्षा में नामांकन विश्व नामांकन दर के आस–पास है परन्तु उच्च आय वाले देशों में माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की बजाय लड़कों में स्कूल छोड़ने की दर ज्यादा है और लड़कियां लड़कों से बेहतर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं परन्तु कम आय वाले देशों में युवतियां शिक्षा में और वेतन भोगी कार्यों दोनों में काफी पीछे हैं। (माऊ तथा विकोस) ने अपने शोध में पाया कि छात्राओं की शैक्षिक तथा व्यवसायिक आकांक्षाएं छात्रों से अधिक ऊँची थी परन्तु महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में कम निवेश करती हैं क्योंकि उनसे सामाजिक तथा घरेलू दायित्व निभाने की उम्मीद अधिक की जाती है। (गरीमा सिंह) ने अपने शोध में पाया कि बालिकाओं का शिक्षा से नहीं जुड़ने का शैक्षिक कारण बालिका विद्यालयों का अभाव और उनका असमान भौगोलिक वितरण है।

वसीयत में लड़कों को विरासत में धन–धान्य मिलता है जबकि लड़कियों को घर से विदाई, लड़कों को खेलने, घूमने–फिरने की आजादी है। जबकि लड़कियों को अपने ही घर में नजरबन्द कर दिया जाता है। देश, समाज का विकास सिर्फ लड़कों से नहीं हो सकता क्योंकि लड़के की शिक्षा एक

RRIJM 2015, All Rights Reserved

पीढ़ी सुधारती है जबकि लड़कियां शिक्षित होकर पीढ़ियाँ शिक्षित कर देती हैं। लैंगिक असमानता देश के विकास के लक्ष्य के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है क्योंकि महिलाओं के साथ इस प्रकार की असमानताओं और अवसर प्राप्ति में अवरोधकों से उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भागीदारी से कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। भारत सहित अनेक विकासशील देश शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में लैंगिक असमानता को दर्शाते हैं। यहां लड़कियों और महिलाओं की उच्च मृत्यु दर भी सामान्य बात है। भारत में लड़का–लड़की लिंग भेद के आधार पर शिक्षा के स्तर में भी काफी बड़ा अंतर है।

वर्तमान परिदृश्य में हम विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से आधुनिकता के उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां धरती और चाँद के बीच की दूरी पगभर दिखाई पड़ती है, फिर भी हमारे समाज की मानसिकता लड़कों को अधिक योग्य और लड़कियों को असहाय व अयोग्य ठहराती है। आज का प्रत्येक युवा अपने लिए पढ़ी–लिखी योग्य संगिनी की कामना करता है ताकि अपना जीवन सुखी व सन्तोषी बना सके, फिर क्यों हमारा समाज लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्मुख नहीं है। फिर यह भेदभाव क्यों? यदि लड़के मकान की दीवार की भांति होते हैं तब लड़कियां तो नींव निर्माता है। इस मनुष्यता रूपी विशाल वृक्ष की पोषक लड़कियों को नीचले पायदान पर रखकर समाज ने कहीं न कहीं अपनी अपंगात्मक मानसिकता का परिचय दिया है।

जहां शिक्षा का अभाव रहेगा, वहां अज्ञान का अंधेरा छाया रहेगा। विकास और प्रगति की अनेक बातें कही सुनी जाने के बावजूद भी देश में नारी शिक्षा की स्थिति को बदत्तर ही कहा जाएगा। आज भी देश की महिलाएं अशिक्षा से अभिशप्त है। देश की मौजूदा जनसंख्या में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। लेकिन साक्षरता का रेखाचित्र इससे भी कहीं अधिक गिरा हुआ है। भारत का नाम अभी भी एशिया में महिलाओं की कम साक्षरता वाले देशों में लिया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार लड़कियों की शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी, तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। इससे समाज में लड़कियों के जन्म और उनकी शिक्षा को लेकर सोच में बदलाव आया है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं जो निम्न प्रकार हैं :–

- **लड़कियों के लिए छात्रवृत्तियां :** केन्द्र सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई छात्रवृत्तियां शुरू की हैं। National Scheme of Incentive to Girls के तहत माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को 3,000 रू प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। वहीं लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए भी छात्रवृत्ति दी जा रही है।
- **लड़कियों के लिए प्रगति स्कॉलरशिप :** प्रगति छात्रवृत्ति का उद्देश्य लड़कियों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत प्रतिवर्ष 4,000 रूपये लड़कियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके तहत 30,000 रूपये तक की ट्यूशन फीस और कोर्स के दौरान 10 महीने तक 2,000 रूपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। यानि लड़कियों को तकनीकी शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष 50,000 रूपये तक की आर्थिक सहायता की जाती है।
- **स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप :** एकल लड़की को सामाजिक विज्ञान में रिसर्च के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य समाज में एकल लड़की को पहचान दिलाना और एकल लड़की की अवधारणा को प्रचारित करना है।
- **उड़ान योजना :** उड़ान योजना का उद्देश्य प्रतिभावना छात्राओं को स्कूल से तकनीकी शिक्षा पाने तक के सफर को आसान बनाना है। इसके लिए ऐसी छात्राओं को मार्गदर्शन के साथ ही आर्थिक सहायता भी दी जाती है। छात्राओं को इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने में मदद की जाती है। इस योजना के तहत प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्राओं को ऑनलाइन फिजिक्स, कैमिस्ट्री, गणित से जुड़े विषयों के विडियों, पाठ और टेस्ट कराए जाते है।
- **कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय :** कस्तूरबा गांधी आवासीय बाल विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, मुस्लिम समुदाय और बीपीएल परिवारों की लड़कियों को शिक्षा दी जा रही है। इन विद्यालयों में 75 प्रतिशत सीटें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक परिवारों की लड़कियों के लिए आरक्षित होती है, जबकि 21 प्रतिशत सीटें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की छात्राओं के लिए होती है। इस समय देश में 3,703 कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय संचालित है। केन्द्र सरकार ने 2017–18 में 94 नए विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है।
- **सर्व शिक्षा अभियान :** केन्द्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, हर वर्ग की बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इस अभियान के तहत लड़कियों को स्कूलों में ही आत्मनिर्भर बनाने और दूसरे सामाजिक पहलुओं के बारे में जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

- **बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान** : बेटियों के प्रति सोच बदलने में केन्द्र सरकार का यह अभियान काफी कारगर साबित हुआ है। इस अभियान के तहत लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ के तहत कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लड़कियों की शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए 5 करोड़ रूपये उपलब्ध कराए गए हैं। इसके तहत हर जिले को 5 लाख रूपये दिए गए है।
- **सुकन्या समृद्धि योजना** : बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ही लड़कियों की शिक्षा के लिए बचपन से ही पैसा जोड़ने की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत बच्चियों के नाम से बैंक में खाता खोला जाता है और उस पर आकर्षक ब्याज दिया जाता है। यह पैसा लड़कियों की शिक्षा और उनके शादी के खर्च में काम आ सकता है।
- **शिक्षा में लिंग पूर्वाग्रह को मिटाना** : केन्द्र सरकार ने स्कूलों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में लैंगिक पूर्वाग्रहों यानि लड़कियों को लेकर पूर्वाग्रहों को खत्म करने की दिशा में गंभीर कदम उठाए हैं। स्कूल स्तर पर इसी अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

हरियाणा 1 नवम्बर, 1966 में पंजाब से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में विकसित हुआ। पिछले 32 वर्षों से हरित–क्रांति, प्रतिव्यक्ति आय, खेल, भारतीय सेना आदि सभी क्षेत्रों में हरियाणा ने सराहनीय भूमिका निभाई है। भारतीय जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा भारत के राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेश में 22 वें स्थान पर है, जिसमें पुरूष साक्षरता दर 84.1 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 65.9 प्रतिशत है। लेकिन शोध का विषय यह है कि आर्थिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद प्रदेश में लैंगिक अंतर 18.2 प्रतिशत है और कार्य सहभागिता के क्षेत्र में भी प्रदेश काफी निचले पायदान पर देश भर में 27 वें स्थान पर है।

पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा सरकार निरंतर प्रयासरत है कि बालिका शिक्षा को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है और शिक्षा में लैंगिक अंतर को कैसे कम किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं की शुरूआत की है। प्रस्तुत शोध पत्र में हरियाणा सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की गणना की गई है। सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्य योजनाएँ निम्नलिखित है :–

- **जीवन कौशल विकास शीतकालीन शिविर :–** हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा राजकीय विद्यालयों की छात्राओं के सर्वांगीण विकास को लेकर राज्य के सभी जिलों से कुछ प्राथमिक एवं वरिष्ठ विद्यालयों का चयन कर 5 दिवसीय जीवन कौशल विकास शीतकालीन शिविर का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को विभिन्न सार्वजनिक कार्यालयों के संचालन और उनके कामकाज के विषय में जागरूक करना होता है। यह शिविर प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक चलते हैं।
- **बालिका मंच :–** हरियाणा के प्रत्येक सरकारी स्कूल में बालिका मंच स्थापित किए गए हैं जिसके तहत महीने के तीसरे शनिवार को बालिकाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन करना है। इस कार्यक्रम में बालिकाओं को ऐसा मंच प्रदान किया जाता है जिसके द्वारा वह अपने मन की बात, अपनी समस्याएं सबके सामने रखती हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा बालिकाओं में आत्म–विश्वास तथा आत्म सम्मान की भावना जागृत होती है।
- **छात्रा वाहिनी योजना :–** विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए हरियाणा स्कूल परियोजना परिषद् पंचकूला ने बालिका वाहिनी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जिले के सरकारी स्कूलों की छात्राओं को हरियाणा रोड़वेज की बसें उनके गांव से स्कूल और स्कूल से वापिस गांव प्रतिदिन पंहुचाती हैं। पूर्ण रूप से निःशुल्क बालिका शिक्षा वाहिनी योजना की बसों में सिर्फ छात्राएं ही सफर कर सकती हैं, किसी अन्य को इन बसों में सफर करने की अनुमति नहीं है।
- **रोल मॉडल कार्यक्रम :–** हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् के अंतर्गत जिले के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों की रोल मॉडल के साथ मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत संवाद सत्र गतिविधि का आयोजन किया जाता है। इसमें पिछले शिक्षा सत्र की दसवीं व बारहवीं कक्षाओं में टॉप छात्राओं को रोल मॉडल के तौर पर बुलाया जाता है। माध्यमिक विद्यालयों में रोल मॉडल के रूप में कॉलेज टॉपर छात्राओं को आंमत्रित किया जाता है। शिक्षा विभाग आमंत्रित की गई रोल मॉडल को एक हजार रूपये मानदेय भी देता है। इसके लिए शिक्षा विभाग स्कूलों को 9900 रूपये प्रति स्कूल ग्रांट जारी करती है। गांव की ऐसी लड़की जिसने प्रतियोगी परीक्षा में कोई स्थान हासिल किया हो, उन्हें भी रोल मॉडल के तौर पर बुलाया जाता है। विभाग का यह भी प्रयास है कि "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ और बेटी को सशक्त बनाओ", यह उद्देश्य सफल बनाया जाए जो कि प्रेरणादायक वार्त्तालाप के द्वारा ही संभव हो सकता है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

- **बालिकाओं के लिए आत्म रक्षा प्रशिक्षण :—** सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के तहत जिले में खण्ड स्तर पर विभिन्न विद्यालयों की बालिकाओं का चयन कर उन्हें आत्म रक्षा के गुर सिखाए जाते हैं। फिर प्रशिक्षण प्राप्त छात्राएं अपने—अपने विद्यालय में अन्य छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देती हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् पंचकूला की ओर से जिला समग्र शिक्षा अधिकारियों को राशि जारी की जाती है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 10 दिन की रहती है।
- **सेनिटरी नैपकिन वितरण योजना :—** हरियाणा के स्कूलों में 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए निःशुल्क सेनिटरी नैपकिन देने की योजना 2018 से शुरू की गई है, जिसके तहत मात्र 1 रूपये में लड़कियां इसे अपने स्कूल से ले सकती हैं। इसके अतिरिक्त बी॰पी॰एल॰ परिवार की महिलाओं के लिए भी यह योजना काम करेगी, उन्हें पीडीएस के अन्तर्गत राशन की दुकानों पर इसकी उपलब्धता करवाई जाती है। देश में महावारी में कपड़े के इस्तेमाल और सेनिटरी नैपकिन के अभाव से होने वाली बीमारियों की खबर के बीच सरकार का यह प्रयास बालिकाओं और महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।

छात्रवृत्तियां

- शिक्षा के क्षेत्र में उत्त्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति के तहत कक्षा 6 से 8 तक प्रथम स्थान पर आने वाली छात्रा को 750 रूपये की राशि दी जाती है।
- अनुसूचित जाति की बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा 1 से 5 तक सभी छात्राओं को 225 रूपये प्रतिमाह तथा कक्षा 6 से 8 तक की सभी छात्राओं को 300 रूपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा 1 से 5 तक सभी छात्राओं को 150 रूपये प्रतिमाह तथा कक्षा 6 से 8 तक की सभी छात्राओं को 200 रूपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

उपरोक्त योजनाओं के अलावा भी कई अन्य प्रयास सरकारी विद्यालयों में किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय दिवसों के अवसर पर विद्यालय में ध्वजा रोहण के लिए गांव की पढ़ी—लिखी बेटी को आमंत्रित किया जाता है, जिससे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही लड़कियों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विद्यालय प्रबंधन समितियों में भी इस बात का प्रावधान किया गया है कि इनमें महिलाओं की संख्या पचास फीसदी होनी अनिवार्य॰। इस प्रकार उपरोक्त योजनाओं एवं दी जाने वाली छात्रवृत्तियों से इस बात का आभास होता है कि हरियाणा सरकार एवं केन्द्र सरकार शिक्षा में लैंगिक अंतर की गंभीरता को समझते हुए विद्यालयों में लड़कियों की ड्रॉप आउट दर कम करने और उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए काफी सकारात्मक एवं सराहनीय प्रयास कर रही है।

सन्दर्भ सूची

1. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/womeneducation
2. https://sablog.in/needtochange-thinking-towords-girls-child-education
3. https://www. Civilhindipedia.com/blog-post/condition of women-in-india.
4. https://www.performindia.com/modi-government-steps-for-girl-education
5. सर्व शिक्षा अभियान प्रशिक्षण संदर्षिका, (2010—11) आयुक्त जयपुर, पृ॰ सं॰ 5.
6. प्रतियोगिता दर्पण/नवम्बर/2008/पृ.सं॰ 670
7. पारीक, मथुरेश्वर, "उदीयमान भारतीय समाज और शिक्षा" 2005, पृ.सं॰ 22
8. ओ.ई.सी.डी॰ (2018, रिपोर्ट ऑन जैंडर इक्वालिटी, पेरिस।
9. असलम, एम॰ (2013), एम्पोवेरिंग वुमेन : एजुकेशन एंड द पाथ्वेयस ऑफ चेंज ई.एफ.ए॰ ग्लोबल।
10. ओप्लाटका एवं लापिदोत (2012), मुस्लिम वुमेन इन ग्रेजुएट स्टडीस, स्टडीस इनह ायर एजुकेशन, अंक 37, पृ.सं॰ 3
11. भारतीय जनगणना आंकड़े (2011), गृह मंत्रालय।
12. मउ, सी एंड बीकोस, एल एच (2011) एजुकेशनल एंड वोकेशनल एस्पिरेशन ऑफ माइनॉरिटी एंड फीमेल स्टूडेंटस, जर्नल ऑफ कौन्सेल्लिंग एंड डेवलोपमेंट, अंक 78, पृ.सं॰ 2
13. वर्ल्ड इकनॉमिक फॉरम, (2017) द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जेनेवा, स्विट्जरलैंड।
14. वित्त मंत्रालय (2018), आर्थिक सर्वेक्षण 2017—18, भारत सरकार।
15. सहगल, आर॰ (2015), वुमेन एजुकेशन : इट्स मीनिंग एंड इम्पॉर्टेन्स, एससेस, पैराग्राफ एंड आर्टिकल्स।